संख्या-25/2022/1002/तेईस-7-2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(व्यवस्थापन"ख" वर्ग),
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 10 नवम्बर,2022

विषयः- श्री योगेश चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-3451व्यख/255व्यख/चि0प्र0/10, दिनांक 17.10.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011(यथा संशोधित- 2014 एवं 2016) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री योगेश चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा मेदान्ता हास्पिटल, लखनऊ में दिनांक- 28.07.2021 से दिनांक 01.08.2021 तक स्वयं की करायी गयी चिकित्सा पर व्यय धनराशि रू0 7,60,393.00/- के सापेक्ष चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल)चिकित्सालय, लखनऊ द्वारा संस्तुत धनराशि रू0-7,06,545.00/-(रूपये सात लाख छः हजार पॉच सौ पैंतालिस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री योगेश चन्द्र जोशी को किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। प्रश्नगत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त दावे से संबंधित बिलों का भुगतान पूर्व में नही किया गया है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01 सिविल 800 अन्य-04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49 अन्य व्यय ''के मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त चिकित्सा दावा/इलाज से संबंधित समस्त बिल बाउचर व अन्य संगत अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
राजेश प्रताप सिह
उप सचिव।

संख्या-25/2022/1002(1)/23-7-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0,प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता(मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- श्री योगेश चन्द्र जोशी, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, निवासी-3/501, आशियाना, लखनऊ।
7- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।